प्रेस नोट दिनांक 31.12.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मान्धाता -

थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत निरंकारी भवन ग्राम शिवरा के पास मान्धाता पुलिस व स्वॉट टीम से हुई, मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त फुल्लू उर्फ सुहैल पुत्र जुबैर के दाहिने पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त दिलशाद पुत्र जुबैर को गिरफ्तार किया गया।

फुल्लू उर्फ सुहैल उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं अभियुक्त दिलशाद के पास से एक पिस्टल .32 बोर ,एक जिन्दा कारतूस .32 बोर ,01 खोखा कारतूस .32 बोर व मौके से घटना में प्रयुक्त एक अदद सफेद अपाचे बरामद किया गया-

थाना मान्धाता में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 194/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 351(3) बीएनएस से संबधित वांछित अभियुक्त थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गई थी। जिसके क्रम में दिनांक 31.12.2024 की रात्रि को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व मे थाना प्रभारी मान्धाता सुभाष यादव मय हमराह, प्रभारी स्वाट टीम सुनील कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर, थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत निरंकारी भवन ग्राम शिवरा के पास चेकिंग के दौरान, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी, आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त फुल्लू उर्फ सुहैल पुत्र जुबैर निवासी ग्राम शिवरा थाना मान्धाता प्रतापगढ के दायें पैर में लगी गोली एवं एवं अन्य 01 अभियुक्त दिलशाद पुत्र जुबैर निवासी ग्राम शिवरा थाना मान्धाता प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त फुल्लू उर्फ सुहैल उपरोक्त को चिकित्सकीय ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया था, जहां से डॉक्टरो द्वारा एसआरएन प्रयागराज भेजा गया है।

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्त फुल्लू उर्फ सुहैल उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त के कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर ,एक जिन्दा कारतूस .32 बोर ,01 खोखा कारतूस .32 बोर व मौके से मौके से घटना में प्रयुक्त एक अदद सफेद अपाचे बरामद किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 196/2024 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घायल /गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दिलशाद पुत्र जुबैर निवासी ग्राम शिवरा थाना मान्धाता प्रतापगढ।
02. फुल्लू उर्फ सुहैल पुत्र जुबैर निवासी ग्राम शिवरा थाना मान्धाता प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह निरीक्षक सुधीर कुमार पाण्डेय, उ0नि0 प्रभात कुमार वर्मा, कां0 अंकित कुमार, कां0 रणवेन्द्र, कां0 मनीष यादव , हे0कां0 रतनलाल त्रिपाठी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

स्वा◌ॅट टीमः- प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह हे0कां0 धनंजय राय, हे0कां0 मोहित राज यादव, कां0 श्रीराम सिंह, कां0 जागीर सिंह, कां0 अरविन्द दुबे, कां0 राजेन्द्र कुमार जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

–पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

–अभियुक्ता द्वारा अपने पति की गला दबाकर हत्या करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

–थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 06.12.2021 को हथिगवां थानाक्षेत्र के ग्राम मस्तापुर मजरा कैमा में अभियुक्ता द्वारा अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। जिसके संबंध में प्रार्थी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में धारा 302 भादवि बनाम 01 नामजद अभियुक्ता के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरी0 नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान, म0उ0नि0 राखी सिंह, का0 अजीत सिंह, का0 अजीत कुमार प्रथम, म0कां0 पूजा द्वारा 01 अभियुक्ता कमिला यादव उर्फ पार्वती पत्नी स्व0 लालचन्द्र यादव निवासी ग्राम मस्तापुर मजरा कैमा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 31.12.2024 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01- कमिला यादव उर्फ पार्वती पत्नी स्व0 लालचन्द्र यादव निवासी ग्राम मस्तापुर मजरा कैमा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह, उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान, म0उ0नि0 राखी सिंह, का0 अजीत सिंह, का0 अजीत कुमार प्रथम, म0कां0 पूजा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

-पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

-हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना सांगीपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के सीपीएस स्कूल के पास पुलिया अमावां बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 09.11.2021 को थाना सांगीपर में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 285/2021 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307, 452, 352, 436 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए, 3(2)5 एससी/एक्ट बनाम 7 नामजद व 6-7 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के नेतृत्व में थाना प्रभारी सांगीपुर उ0नि0 श्री मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह कां0 संदीप कुमार द्वारा 01 अभियुक्त सूरज शुक्ला पुत्र रामसिरोमणि निवासी ग्राम राजातारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के सीपीएस स्कूल के पास पुलिया अमावां बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सूरज शुक्ला पुत्र रामसिरोमणि को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0 285/2021 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307, 452, 352, 436 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए, 3(2)5 एससी/एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सूरज शुक्ला पुत्र रामसिरोमणि निवासी ग्राम राजातारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह कां0 संदीप कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

जनपद प्रतापगढ़ दिनांक-31.12.2024

-आगामी महाकुम्भ मेला-2025 के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 25-12-2024 से 13-01-2025 तक चलाया जा रहा है विशेष अभियान -

– एसपी प्रतापगढ़ ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस को किया अलर्ट,

-ऑपरेशन कवच एवं ऑपरेशन बाजार के तहत जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा की गई सघन चेकिंग

– ऑपरेशन कवच के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा की गई जनपद प्रतापगढ़ व मेला क्षेत्र प्रमुख चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग

– ऑपरेशन कवच के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जनपद प्रतापगढ़ व मेला क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिये गठित 48 टीमों द्वारा कुल 787 संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 04 संदिग्धों को गिरफ्तार व 09 पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए 590 संदिग्धों को दी गई चेतावनी

–ऑपरेशन बाजार के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा की गई जनपद प्रतापगढ़ व मेला क्षेत्र के बाजारों/ प्रदर्शनी/ दुकानों/ धर्मशाला/ होटल/ होमस्टे, किरायेदार की चेकिंग

– ऑपरेशन बाजार के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा गठित 36 टीमों द्वारा जनपद प्रतापगढ़ व मेला क्षेत्र के कुल 194 दुकानों/ बाजारों/ प्रदर्शनी/ धर्मशाला/ होटल/ होमस्टे, किरायेदार की चेकिंग कर 553 संदिग्ध व्यक्तियों की चेक किया गया, साथ ही 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार, 05 पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए 470 व्यक्तियों को दी गई चेतावनी

– प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान विभिन्न अभियोगों से संबंधित 01 वांछित व 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल व 15 लीटर अवैध देशी शराब बरामद, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार व 01 अवैध तमंचा, कारतूस 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

– महाकुम्भ मेला क्षेत्र की विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था हेतु बनाया गया है सात स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज श्री भानु भास्कर एवं पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/ पश्चिमी) के नेतृत्व में दिनांक 30.12.2024 को प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आगामी महाकुम्भ मेला-2025 के दृष्टिगत,
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रह कर ऑपरेशन कवच के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जनपद प्रतापगढ़ व मेला क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिये गठित 48 टीमों द्वारा कुल 787 संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 04 संदिग्धों को गिरफ्तार व 09 पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए 590 संदिग्धों को चेतावनी दी गई। ऑपरेशन बाजार के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा गठित 36 टीमों द्वारा जनपद प्रतापगढ़ व मेला क्षेत्र के कुल 194 दुकानों/

बाजारों/ प्रदर्शनी/ धर्मशाला/ होटल/ होमस्टे, किरायेदार की चेकिंग कर 553 संदिग्ध व्यक्तियों की चेक किया गया, साथ ही 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार, 05 पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए 470 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

देखभाल क्षेत्र/ सत्यापन/ संदिग्ध व्यक्ति/ वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 15 लीटर अवैध देशी शराब बरामद, थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त, थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आगामी महाकुम्भ मेला - 2025 दिनांक 13-01-2025 से प्रारम्भ होकर दिनांक 26-02-2025 तक चलेगा। जिसमें देश-विदेश के सभी भागों से तीर्थयात्री, श्रद्धालुगण, पर्यटक, स्नानार्थीगण आयेंगे। सम्पूर्ण भारत सहित विदेशों में तीर्थराज प्रयागराज का विशेष महत्व है। जिसके कारण देश-विदेश में महाकुम्भ आकर्षण का केन्द्र बिन्दु भी रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से महाकुम्भ मेला अत्यन्त संवेदनशील है। मेले के दौरान विगत कुम्भ की अपेक्षा न केवल अधिक संख्या में श्रद्धालुगण आगमन करेंगे बल्कि बड़ी संख्या में सुरक्षा प्राप्त विशिष्ट महानुभावों का भी आगमन होगा। महाकुम्भ मेला क्षेत्र की विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सात स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया गया है।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

-थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत रिसालगढ़ पुल के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

-अभियुक्त मो0 सुरेश सरोज के कब्जे से 05 अदद देशी बम बरामद किये गये

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह उ0नि0 फिरोज खां, का0 अरुण कुमार चौधरी, कां0 हरेन्द्र कुमार, कां0 मुकेश पटेल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.12.2024 को 05 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त सुरेश सरोज पुत्र ब्रहम्दत्त सरोज निवासी ग्राम भवानीगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के रिसालगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश सरोज पुत्र ब्रहम्दत्त सरोज निवासी ग्राम भवानीगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 05 अदद देशी बम बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 421/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सुरेश सरोज पुत्र ब्रहम्दत्त सरोज निवासी ग्राम भवानीगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0-80/08 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0- 421/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
05 अदद देशी बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
01. उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
02. उ0नि0 फिरोज खां थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

03. कां0 अरुण कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
04. कां0 हरेन्द्र कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
05. कां0 मुकेश पटेल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
साइबर थाना-

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

वर्ष 2024 में आनलाइन साइबर ठगी पीड़ितों के कुल 36, 13, 188/- (छत्तीस लाख, तेरह हजार, एक सौ अट्ठासी रुपया) साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ द्वारा कराया गया वापस । छिहत्तर लाख, अणतालीस हजार, अट्ठारह रुपया (76.48.018/-) की धनराशि फ्रीज करायी गयी है।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

-दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के पहाड़पुर तिराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.04.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 67/2024 धारा 498ए, 304बी, 504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह, का0 अवतार सिंह, कां0 चालक संदीप कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2024 धारा 498ए, 304बी, 504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त रामअभिलाष तिवारी पुत्र देवनारायण तिवारी निवासी ग्राम इटौरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के पहाड़पुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामअभिलाष तिवारी पुत्र देवनारायण तिवारी निवासी ग्राम इटौरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह, का0 अवतार सिंह, कां0 चालक संदीप कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़